

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 28, 1984/आषाढ़ 7, 1906
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

सं 188/84-सीमाशुल्क

सं. का नि 477(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने
हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 166-सीमाशुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, “30 जून, 1984” अंको और शब्द के स्थान पर “30 जून, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे

[फा. सं. 335/203/84-सीसु-1]

एम. एन. बिश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1984

No. 188/84-CUSTOMS

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 166-Customs, dated the 19th August, 1980, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words “30th day of June, 1984”, the figures, letters and words “30th day of June, 1985” shall be substituted.

[F. No. 355/203/84-CUS-I.]

M.N. BISWAS, Under Secy.